

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (N-243) अलेसे-1/ 5791

दिनांक:- 28-03-25

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 72/2023-24 दिनांक 03.01.2024 (क्रम संख्या 07) के द्वारा श्री नरेश पटवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गए थे परन्तु तत्समय श्री पटवा के विरुद्ध इस निदेशालय के ज्ञापन क्रमांक 2130-36 दिनांक 23.10.2024 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच विचाराधीन होने के कारण इन्हें "जांच बकाया नहीं" होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। निदेशालय के आदेश क्रमांक 233-39 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा श्री पटवा को प्रकरण में आरोप मुक्त कर समाप्त कर दिया गया।

अतः वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेश पटवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के विरुद्ध आदिनांक से :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

15 क अस्ता


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (N-243) अलेसे-1/ 5792 47

दिनांक:- 28-03-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
2. कोषाधिकारी, उदयपुर।
3. श्री नरेश पटवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)